रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 1994/फाल्गुन 24, 1915

No. 109] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 1994/PHALGUNA 24, 1915

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1994

का. आ. 214(अ).....विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा "विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री चरण मदान होंगे।

[फा. सं. 13014/3/94—के (डी ओ-1)]

मधुकर गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 1994

S.O. 219(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government being of opinion that it is necessary so to do, hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal", consisting of Justice Shri Arun Madan, Judge of the Rajasthan High Court.

[File No. 13014/3/94-K(DO.I.]

MADHUKAR GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994